न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 68/2020 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

रेवडया पुत्र भोरया जाति मीना निवासी ग्राम बाढ डाबरकलां तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये पीआईयू दौसा ए–2, इन्द्रा कौलोनी, रोडवेज डीपो के सामने, दौसा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि 11,36,215 बाबत।

उपस्थित– 1. श्री रूपनारायण मीना, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से (अनुपस्थित)
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामेश्वर बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2।

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा ग्राम डाबर कलां के खसरा नंबर 17 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से न्याय हित में उनके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी की ग्राम बाढ डाबर कलां तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में आराजी भूमि ख0नं 17 सिंचित भूमि स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि स्थित है जहां से भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की स्वीकृत हुआ है जिसके लिये अप्रार्थी सं 1 द्वारा 0.4159 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा आवाप्त कर ली गई है। अप्रार्थी सं 1 ने एक्सप्रेस हाईवे बनाने आदि के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के लिये अधिसूचना जारी कर प्रार्थी की बारानी–2 सिंचित निजी भूमि में से 0.4159 मीटर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भू–अवाप्ती अधिकारी उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा आरंभ कर दी तथा प्रार्थी को उसकी बारानी–2 सिंचित निजी भूमि का मुआवजा राशि 11,36,215 निर्धारित कर दी लेकिन आज दिनांक प्रार्थी की मांग के बावजूद उक्त मुआवजा राशि उसे नहीं दी जा रही है तथा अप्रार्थी सं 2 भूमि अवाप्ती अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा नें मुआवजा राशि को अटकानें की नियत से एक पत्र कमांक/भू0अ/148 एन/449 दिनांक 28/10/2020 को परियोजना निदेशक भारारा़प्रा, पीआई दौसा अप्रार्थी सं 1 को लिख कर पुनः [illegible] निर्धारण रिपोर्ट बाबत भेज कर पत्र लिखा गया जिससे व्यथित हो कर [illegible] महोदय जिला कलैक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि की सिंचित भूमि की दर से मुआवजा राशि 11,36,215 रू0 शीघ्र दिलाये जानें बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी सं 2 द्वारा पत्र कमांक/भू0अ/148 एन/449 दिनांक 28/10/2020 का यह आदेश प्रार्थी को आर्थिक क्षति पहुंचानें की नियत से जारी किया गया है जो कि विधि, नियमों व लोकनीति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

विरूद्ध जा कर आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित हो कर माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र आपत्तीयों का पेश कर प्रार्थी बारानी–2 सिंचित निजी भूमि का सबसे पहले पारित किया गये अवार्ड राशि 11,36,215 रू० शीघ्र दिलाया जाये जिससे किसानों को उनकी भूमि का भूमि की किश्म के अनुसार मुआवजा मिल सके। प्रार्थी बारानी– 2 सिंचित निजी भूमि प्रकरण में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा ही उनकी ऐजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी जिसका मुआवजा राशि भी बैंक में जमा हो चुकी है लेकिन अप्रार्थीगण जानबूझ कर अपनें ही पूर्ववर्ती सर्वेक्षण रिपोर्ट के विरूद्ध आदेश जारी कर उक्त आदेश जारी किया है जो विधि, नियमों, उप नियमों, लोक निति, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत, मौजूदा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरित होनें से प्रथम द्रष्ट्या ही काबिले खारिज है प्रार्थी बारानी –2 सिंचित निजी भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं आया इसके बावजूद दो भिन्न भिन्न आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। जब किसी एक ही प्रकरण में किसी एक ही अधिकारी द्वारा तथ्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुए बगैर प्रकार के आदेश पारित कर दिये जाते है तब विधि के और नियमों के अनुसार सबसे पहले पारित किया गया आदेश ही मान्य होता है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम में विधि, नियमों व प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरित पारित आदेश को निस्पक्षता पर संदेह होने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने, भारतीय लोकनीति/नैतिकता के विपरित होनें, आदेश कपट या भारतीय विधि द्वारा निषिद्ध है एवं विधि को निस्फल करनें वाला हो ऐसी किसी एक परिस्थिति में भी आर्बिटेटर द्वारा आदेश को अपास्त किया जा सकता है लेकिन प्रार्थी तो केवल जारी किये गये पंचाट की राशि 11,36,215 रू० ही चाहता है जो न्याय हित में आवश्यक है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि का सिंचित बारानी–2 भूमि के निर्धारित दर से मुआवजा मिल सके। प्रार्थी नें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारतमाला योजना में एक्सप्रेस हाई वे राजमार्ग में अपनी बारानी–2 सिंचित भूमि को अवाप्त कराकर योगदान दिया है लेकिन अब तक उसे उसकी भूमि का निर्धारित मुआवजा नहीं मिला जबकि अन्य खातेदारों को मुआवजा मिल चुका है जो विभेद है इस लिये प्रार्थी को उनकी अवाप्तशुदा बारानी–2 सिंचित किस्म की भूमि का निर्धारित मुआवजा मय ब्याज दिलाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र मुआवजा राशि 11,36,215 रू0 बाबत स्वीकार किया जा कर पारित पंचाट राशि, 11,36,215 रू० अप्रार्थी से 1 द्वारा अवाप्त की गई प्रार्थी की सिंचित किस्म की भूमि का सिंचित किस्म की दर से ही मुआवजा मय ब्याज दिलाये जानें के आदेश प्रदान करें तथा अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी के हितार्थ हो माननीय न्यायालय की दृष्टि में विधिसम्मत और न्यायोचित हो वह फरमानें की कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. तक के भू–खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. तक (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेस वे) के निर्माण ([illegible]/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध [illegible] प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4117 दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई । उक्त अधिसूचना का.आ. 4117 दिनांक 21.08.2018 का सार उक्त अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:15 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 3 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और नवज्योति में दिनांक 11.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना में खसरा नम्बर 17 निजी किस्म बारानी–2 दर्ज थी। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 74 (अ) दिनांक 04.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी। अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनों में दिनांक 26.01.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि खसरा नंबर 17 की 0.4159 मीटर की किस्म बारानी 2 वाके ग्राम बाढ डाबरकलां तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि 3 डी(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी। भूमि अवाप्ति कि बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 17 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम डाबरकलां का मुआवजा सडक के पास की डीएलसी दर 10,63,409/–रूपये के आधार पर निर्धारित की गई परन्तु पटवारी हल्का व तहसीलदार कार्यालय की मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि डामरीकृत सडक से दूर स्थित है। डामरीकृत सडक से दूर स्थित भूमि का मुआवजा की डीएलसी दर 7,31,203/–रू0 प्रति है0 है। उक्त आधार पर ही अवाप्तशुदा आराजी ,ासरा नंबर 17 किस्म बारानी 2 स्थित वाके डाबरकलां की अवाप्त भूमि 0.4159 मीटर भूमि की मुआवजा राशि का मुआवजा डीएलसी दर 7,31,203/–रू0 प्रति है0 के आधार पर 7,81,264/–रू0 बनता है। प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नंबर 17 में से अवाप्त रकबा 0.4159 मीटर की मुआवजा राशि 7,81,264/–रू0 प्राप्त करने का अधिकारी है। प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष डीएलसी दर 10,63,409/– रूपये के आधार पर उपरोक्त आराजी का मुआवजा राशि 11,36,215/– रूपये भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष जमा करा दी गई है। प्राधिकरण शेष राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्धारित डीएलसी दर 7,31,203/–रू. प्रति है. की दर पर ही मुआवजा दिया जाना न्यायोचित है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के अंतर्गत बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध [illegible] केन्द्र सरकार के उपक्रम है को विधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत क[illegible] नोटिस नहीं दिया गया है जिस कारण से प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 डी नोटिफिकेशन के पश्चात भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है व प्रार्थी क[illegible] सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है मात्र इस कारण से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त नहीं किया गया तथा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही की गई तो यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1 को महज परेशान करने की बदनीयती से किया गया गया है। इस कारण अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी से विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित किस्म के अनुसार मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम बाढ डाबरकलां तहसील रामगढ पचवारा में आराजी खसरा नंबर 17 सिंचित भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया तब सहवन से डामरीकृत सडक से लगता हुआ मुआवजा निर्धारण हो गया था जिसका राजस्व टीम द्वारा उक्त खसरा नंबरों का सर्वे किया गया तो पाया गया कि मौके पर 16 से 19 के मध्य कच्चा रास्ता जा रहा है। मौके पर डामरीकृत सडक नहीं बना हुआ है। मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर ही किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्त की गई भूमि खसरा नंबर 17 ग्राम बाढ डाबरकलां तहसील रामगढ पचवारा के मुआवजे को सिंचित भूमि की दर से दिलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एनएचएआई का कथन है कि प्रार्थी को मुआवजे का निर्धारण सिंचित भूमि की दर से किया गया है। हमने अवार्ड दिनांक 6.1.2021 जो कि का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अवार्ड का निर्धारण सिंचित भूमि की दर से किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का सिंचित भूमि की दर से मुआवजा अवार्ड आदेश प्रारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 17 ग्राम बाढ डाबरकलां पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:15 IST
Reason: SelfAttested